ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.13 से 31.3.16

भाग–एक

1 प्रस्तावना (क):–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती त्रिशला देवी	1.4.13 से 22.1.16
2	श्री रविन्द्र कुमार	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जगदेव सिंह	1.4.13 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	4.13
2	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.12
3	7	खाता–ख के अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित न करना	1.50
4	8	अनुदानों को उपयोग न करना	17.46
5	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	5.28
6	10	पंचायत द्वारा क्रय किए गए सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करना	1.82

7	12	शटरिंग किराये पर लेने के कारण अधिक एवं अनुचित भुगतान	0.53
8	13	बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.73

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 16.9.2016 से 20.9.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 8/13, 8/14 व 2/16 तथा 3/14, 12/14 व 8/15 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200/–बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अधियाचना संख्या–283 दिनांक 19.9.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी को अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा यह राशि के0सी0सी0बी0 बसाल के बैंक ड्राफ्ट संख्या 558680 दिनांक 20.9.2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमाला–9 को प्रेषित कर दी गई।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः–ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	133504.03	82960	216464.03	114368	102096.03
2014–15	102096.03	51179	153275.03	11319	141956.03
2015–16	141956.03	63668	205624.03	33304	172320.03

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1014726.20	865847.00	1880573.20	777504	1103069.20
2014–15	1103069.20	2526817.70	3629886.90	136504.70	2266382.20
2015–16	2266382.20	1302668.00	3569050.20	1823135	1745915.20

4.1 बैंक समाधान विवरणः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खाते में ₹412957.95 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान करके कृत अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) रोकड़ बही खाता–क पैरा 4 (1) का अन्तशेष ₹172320.03
(ii) रोकड़ बही खाता–ख पैरा 4 (2) का अन्तशेष ₹1745915.20
कुल योग ₹1918235.23

अन्तशेष का विवरणः– दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक का नाम	निधि/शीर्ष	राशि	हस्तगत राशि	योग
1	20013012515	के0सी0सी0बी0 बसाल	अनुदान व सभा निधि	662818	919.28	663737.28
2	65201690480	एस0वी0पी0 ऊना	अनुदान व सभा निधि	789144	–	789144
3	20013074901	के0सी0सी0वी0 बसाल	आई0ए0वाई/आर0 ए0वाई	52396	–	52396
			कुल योग	**1504358**	**919.28**	**1505277.28**
			अन्तर (1918235.23–1505277.28)			**₹412957.95**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खाते से मिलान न करने के कारण ₹4.13 लाख अन्तरः–

रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खाते का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है जिसके कारण रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में ₹412957.28 का अन्तर पाया गया। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा उपरोक्त वर्णित राशि का उचित स्त्रोत से वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4.3 (i) रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा।यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियाँ और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक पंचायत द्वारा अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की प्राप्ति को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियाँ अलग से लगाई गई थी जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी की रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया है। अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के दौरान की रोकड़ बहियों में न तो प्रतिदिन व प्रत्येक माह का आरम्भिक शेष उठाया गया है व न ही प्रतिदिन व प्रत्येक माह का अन्तिम शेष निकाला गया है। शीर्षवार खाताबही भी तैयार नहीं की गई है जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त अनियमितता के कारण वित्तीय स्थिति में

दिनांक 1.4.13 से 31.3.16 तक दर्शाए गए आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक दिन का आरम्भिक एवं अन्तिम शेष न दर्शाने व शीर्षवार खाता बही तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं व तुरन्त प्रभाव से रोकड़ बहियों का रख रखाव निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

(i) पंचायत राजस्व गृहकर ₹0.02 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

सचिव ग्राम पंचायत नगल सलांगड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को गृहकर के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹2317 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	आरम्भिक शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	1174	8580	9754	8395	1359
2014–15	1359	8915	10274	8410	1864
2015–16	1864	8920	10784	8467	2317

अतः उपरोक्त उल्लेखित गृहकर ₹2317/– की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

(ii) मोबाईल टावर सेवा प्रदाता से नवीनीकरण शुल्क ₹0.10 लाख की वसूली न करनाः–

सचिव ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी की परिधि में वित्तीय वर्ष 2006–07 में भारतीय संचार निगम लिमिटेड का मोबाईल टावर स्थापित हुआ था। उक्त टावर का स्थापना व नवीनीकरण शुल्क वित्तीय वर्ष 2011–12 तक पंचायत को प्राप्त हो चुका है लेकिन वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक 4 वर्षों का नवीनीकरण शुल्क सम्बन्धित मोबाईल टावर कम्पनी से प्राप्त नहीं हुआ है जबकि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज की अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0–एच ए (2) 8/99 दिनांक 9 नवम्बर, 2006 क अनुसार प्रत्येक मोबाईल संचार सेवा प्रदाता से ₹2000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क व 5 साल उपरान्त नवीनीकरण शुल्क में 25% की वृद्धि उपरान्त वसूली की जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त मोबाईल टावर सेवा प्रदाता कम्पनी से वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक नवीनीकरण शुल्क में 25% की वृद्धि उपरान्त 4 वर्षों हेतु ₹2500/– (₹2000+25%) प्रति वर्ष की दर से कुल ₹10000/– की वूसली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित मोबाईल टावर सेवा प्रदाता कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 खाता (ख) के ब्याज ₹1.50 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष मास जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता–ख से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता–क में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी में न तो खाता (क) व खाता (ख) के अनुसार रोकड़ बहियाँ तैयार की गई है व ही अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹149832 को स्वयं संसाधनों के खाता–क में अन्तरित किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता–ख के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता–क में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक विभिन्न बैंक खातों से अर्जित ब्याज का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	योजना	आई0ए0वाई0	मनरेगा	कुल योग
1	2013–14	29396	2888	1781	34065
2	2014–15	45524	1869	997	48390
3	2015–16	65531	1846	–	67377
	योग	**140451**	**6603**	**2778**	**149832**

8 अनुदान ₹17.46 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1745915.20 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के

दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.28 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2 (i व ii)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹528468 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर को क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत द्वारा क्रय किए गए ₹1.82 लाख के सामान के सामान को स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय व जारी किए गए सामान की प्रविष्टियाँ स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–3 (i व ii)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹182243 का स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामान की स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में प्राप्ति प्रविष्टियाँ नहीं की गई। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी में संलग्न **परिशिष्ट–4** के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान ₹186338/– के मस्ट्रोलों द्वारा मजदूरी का भुगतान विभिन्न विकास कार्यों को करवाने हेतु किया गया लेकिन करवाए गए विकास कार्यों के अनुमान/प्राकलन व वास्तविक रूप से निष्पादित किए गए कार्यों के मापन की माप पुस्तिकाए अंकेक्षण में सत्यापना

हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके फलस्वरूप करवाए गए कार्यों की वास्तविकता की जांच अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 शटरिंग किराये पर लेने के कारण ₹0.53 लाख का अधिक/अनुचित भुगतानः–

व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान योजना/सभा निधि से शटरिंग किराये पर लेने हेतु निम्नविवरणानुसार ₹85184 का भुगतान किया गया है।

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	87/11.12.14	वैल सिंह चौधरी गाँव सनझोट	शटरिंग स्टील	1426 वर्ग फुट	32	45632
2	52/3.9.15	वैल सिंह चौधरी गाँव सनझोट	शटरिंग स्टील	1236 वर्ग फुट	32	39552
					योग	**85184**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त वाउचरों के अन्तर्गत शटरिंग स्टील को किराये पर लेने से पूर्व निर्धारित/आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है व शटरिंग अत्यधिक उच्च दरों पर किराये पर लिया गया है जबकि उक्त शटरिंग को बाजार की प्रचलित दर ₹12 प्रति वर्ग फुट की दर से आसानी से किराये पर लिया जा सकता था क्योंकि नजदीकी ग्राम पंचायत बड़साला में ₹12 प्रति वर्ग फुट की दर से शटरिंग किराये पर ली गई थी। फलस्वरूप बाजारीय प्रचलित दरो ंसे अत्याधिक उच्च दरों पर लगभग ₹20 (32–12) प्रति वर्ग फुट की दर से अधिक भुगतान करने के कारण क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित 2662 (1426+1236) वर्गफुट शटरिंग किराये पर लेने की एवज में ₹53240(2662X20) का सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति को अधिक एवं अनुचित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व विभाग द्वारा उचित जाँच कर अधिक भुगतान की राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जानी सुनिश्चित की जाए।

13 ₹1.73 लाख के बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

(क) (i) व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्या 93 दिनांक 22.12.14 को हिम ऊर्जा से 5 सोलर स्ट्रीट लाईटें क्रय करने पर ₹95585/– का भुगतान योजना/सभा निधि से किया गया है। उक्त 5 सोलर स्ट्रीट लाईटों के क्रय से सम्बन्धित बिल/वाउचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे केवल उक्त विभाग की रसीद संख्या 46317 दिनांक 30.12.14 ₹95585 प्राप्ति की

रसीद ही अभिलेख में संलग्न है। बिल/वाउचर के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित क्रय दर्शाए गए 5 सोलर स्ट्रीट लाईटों के व्यय व मात्रा की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः वाँछित बिल/वाउचर सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय दर्शाई गई 5 सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्टॉक प्रविष्टि व स्थापित करने से सम्बन्धित अभिलेख स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व सोलर लाईटों की स्थापना सहित अभिलेख पूर्ण किया जाए जिसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि योजना/सभा निधि से दिनांक 6.8.15 को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, शिमला से 68 बैग सीमेन्ट क्रय करने पर ₹14540 का भुगतान किया गया है लेकिन उक्त भुगतान दर्शाई गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचरों को अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त क्रय किए गए सीमेन्ट की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टि व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख भी मौजूद नहीं है। बिल/वाउचर व स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त क्रय दर्शाए गए सीमेन्ट के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वाँछित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित कर जाए।

(ग) व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत विभिन्न मासों के दौरान पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को मानदेय/वेतन के रूप में सभा/योजना निधि से निम्नविवरणानुसार ₹63350/–का भुगतान किया गया है।

क्र0 सं0	वा0सं0/दिनांक	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	अवधि	राशि	विवरण
1	78/8.12.14	श्री सन्तोख राज (चौकीदार)	4/14 से 10/14	1400	बकाया राशि
			11/14	2000	वेतन
				3400	
2	79/8.12.14	श्रीमती त्रिशाला देवी (प्रधान)	7/14 से 9/14	7200	मानदेय व बकाया राशि
		श्री मोहिन्द्र सिंह (उप प्रधान)	7/14 से 9/14	6300	मानदेय व बकाया राशि
		वार्ड सदस्य (5)	7/14 से 9/14	6750	मानदेय व बकाया राशि
3	89/22.12.14	श्री अनिल कुमार (पशु चिकित्सक सहायक)	10/14	5000	वेतन
4	36/6.8.15	श्री अनिल कुमार (पशु चिकित्सक सहायक)	4/15 से 6/15	15000	वेतन

5	37/6.8.15	श्री सन्तोख राज (चौकीदार)	7/15	2000	वेतन
6	38/6.8.15	पंचायत पदाधिकारी	4/15 से 6/15	17700	मानदेय
		क्रम संख्या 1 से 6 तक का कुल योग		**₹63350**	

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 6 पर उल्लेखित विभिन्न पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को मानदेय/वेतन के रूप में ₹63350/–की भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। बिल/वाउचरों के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित भुगतानों को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः वाँछित बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत किए जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 आय प्राप्त होने के कई महीनों बाद रसीदें जारी करनाः–

(i) जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी में रोकड़ बही में दिनांक 13.9.2013 को रसीद संख्या 49272 के अन्तर्गत राशन कार्ड फीस (सामान्य) 254 कार्डों हेतु ₹5 प्रति कार्ड की दर से ₹1270 दर्ज की गई है जबकि रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 49271 दिनांक 14.6.14 को काटी गई थी जिससे स्वतः स्पष्ट है कि उक्त रसीद भी दिनांक 14.6.14 को या इसके बाद काटी गई थी।

(ii) इसी तरह रसीद संख्या 49274 के अन्तर्गत दिनांक 27.3.14 को रोकड़ बही के बाय पक्षम में राशन कार्ड फीस 20 कार्ड ₹5 प्रति कार्ड की दर से ₹100 दर्ज की गई है लेकिन उक्त रसीद पर दिनांक 7.8.14 अंकित है। उपरोक्त उल्लेखित प्रकरणों में क्रम संख्या 1 में राशि प्राप्त होने के लगभग 9 महीने बाद व क्रम संख्या (ii) में राशि प्रति के लगभग 5 महीने बाद रसीदें जारी की गई जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में आय प्राप्त होने के साथ–2 रसीदें जारी नहीं की जाती है जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता होने के साथ–2 प्राप्त आय के किसी भी अस्थाई दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में वास्तविक प्राप्ति की दिनांक को ही रसीद जारी की जानी सुनिश्चित की जाए।

15 पृथक–पृथक रसीदों की जगह संयुक्त रसीद जारी करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के आय पक्ष में रसीद संख्या 49272 दिनांक 13.9.13 के अन्तर्गत 254 कार्डों हेतु ₹5 प्रति कार्ड की दर से ₹1270 (254X5) व रसीद संख्या 49274 दिनांक 27.3.14 को 20 कार्डों हेतु ₹5 प्रति कार्ड की दर से ₹100 कुल ₹1370 की वसूली की गई दर्शाई है। लेकिन उपरोक्त उल्लेखित 254 व 20 कुल 274 कार्डों हेतु संयुक्त रसीदें ही काटी गई है जबकि प्रत्येक राशन कार्ड धारक के अनुसार पृथक–2 रसीद जारी की जानी अपेक्षित थी। अतः प्रत्येक राशन कार्ड धारक के अनुसार पृथक–2 रसीद जारी न करके संयुक्त

रसीद जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक राशन कार्ड धारक से ₹5 प्रति राशन कार्ड की दर से ही वसूली की गई है।

16 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी द्वारा नहीं किया गया जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 टी0डी0एस0 की कटौती न करनाः–

आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति, संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹30000/– से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000/– से अधिक सकल भुगतान पर 2**%** की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1**%** की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है। जिसके कारण सरकारी कोष में टी0डी0एस0 के रूप में बहुत हानि हुई है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

18 (i) स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से एक उप समिति गठित करना अपेक्षित है। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन के प्रत्येक प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया है जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 की धारा 67 (3) की

गम्भीर अवहेलना है। अतः स्टोर (सामान) का क्रय व उपायन उप समिति के गठन के बिना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय किए गए स्टोर (सामान) को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए। कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अपेक्षित है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया था व सभी कार्य सहभागी समिति के बिना ही स्वयं करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय–11 के उप नियम 93 व पारदर्शिता नियमों की अवहेलना है। अतः प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के दौरान क्रय सामग्री की मात्रा की मापन ईकाई को फुट व ट्राली के रूप में गलत दर्शानाः–

ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी द्वारा सामग्री के रूप में क्रय रेता, बजरा, बजरी, पत्थर की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति एवं जारी/खपत प्रविष्टियां ट्राली इत्यादि के रूप में दर्ज की गई व तदानुसार माप पुस्तिकाओं में कार्य का मूल्यांकन करते समय सम्पूर्ण सामग्री जैसे कि रेता, बजरी, बजरा व पत्थर इत्यादि को ट्राली इत्यादि के रूप में दर्शाया गया है। जोकि कार्य नियमों को गम्भीर अवहेलना होने के साथ–साथ अव्यवहारिक एवं आपत्तिजनक है। नियमानुसार रेता, बजरी, बजरा एवं पत्थर इत्यादि की मात्रा को घनफुट या घनमीटर में ही माप जा सकता है व ट्राली/फुट के रूप में मापन असम्भव है। यहां यह भी उल्लेखित है कि निर्माण/मुरम्मत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सहायक व ब्लॉक स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में निष्पादित किये जाते हैं।

20 माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह विकास कार्यों हेतु लाखों रूपये की सामग्री जैसे रेत, बजरी, बजरी, पत्थर, सीमेन्ट, ईटें इत्यादि खरीदा गया, लेकिन माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई जिसके फलस्वरूप इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामग्री खरीदी गई थी, क्या वास्तव में उतनी ही मात्रा में सामग्री का उपयोग हुआ था। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

22 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

24 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(5) 18/2016–खण्ड–1–1271–1274 दिनाँकः 28.02.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.